

1-6/18 पदावली आज कृष्ण कोर्ट हांललललर में पेश
हुई। उकरल व लंबेयित ललड पक ड निस्तारण
के चुकल है। प्रणपक अस्थायी निषेधाज्ञा क
अब कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना
पक अस्थायी निषेधाज्ञा को इस स्तर पर
खारीज किया जाता है। पदावली कंसल
मुगार होकर नम्बर व करु है तथा दायित्व
हलतर है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डावली (कलकत्ता)